राजस्थान सरकार

# कार्यालय सचिव राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड

बी–7 झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :–रा.रा.आ.पि.व.बो./2022/187 दिनांक :– 18/10/22

श्रीमान निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
जयपुर।

**विषय :– राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के माननीय अध्यक्ष महोदय के मनोनयन संबंधी आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि माननीय श्री अनिल शर्मा को मंत्रीमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक पं. 11(1)मं.मं./2021 दिनांक 14.03.2022 द्वारा राज्यमंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ 11(163) आ.पि.क.बो./डीडीबीसी/सान्याअवि/19/7839 दिनांक 14.02.2022 के द्वारा माननीय श्री शर्मा को राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड में अध्यक्ष मनोनीत किये जाने के आदेश जारी किये गये है।

राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के अध्यक्ष महोदय श्री अनिल शर्मा के आदेशानुसार उनके मनोनयन संबंधी आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पूर्व में भी निदेशालय सान्याअवि को पत्राचार किया जा चूका है परन्तु आदिनांक तक मनोनयन संबंधी आदेश अपलोड नही हुये है। इस क्रम में माननीय राज्यमंत्री महोदय ने गहन नाराजगी व्यक्त की है।

अतः श्रीमान से पुनः निवेदन है कि राज्यमंत्री महोदय के मनोनयन संबंधी आदेश यथाशीघ्र अपलोड करवाने हेतु संबंधित को निर्देश प्रदान कराने का श्रम करावें। माननीय अध्यक्ष महोदय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

'सादर'

सचिव 18/10
राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड
जयपुर

क्रमांक :– रा.रा.आ.पि.व.बो./2022/188-193 दिनांक :– 18/10/22

प्रतिलिपि :–

01. प्रमुख सचिव/सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
05. श्रीमान उपनिदेशक निदेशक महोदय, (पि0जा0) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।
06. श्रीमान ACP महोदय, आई.टी. अनुभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर।

सचिव 18/10

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 11(1)मं.मं./2021

जयपुर, दिनांक 14/03/2022

**आदेश**

श्री अनिल शर्मा, अध्यक्ष, राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। श्री शर्मा को राज्य मंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प. 11(1)मं.मं./1999 दिनांक 30.11.2012 एवं 07.12.2017 द्वारा प्रदत्त सुविधायें देय होंगी।

श्री शर्मा को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय संबंधित प्रशासनिक विभाग–सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा० राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. विशिष्ठ सहायक, मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण।
4. श्री अनिल शर्मा, अध्यक्ष, राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड।
5. मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विभाग।
9. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड।
10. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित।)
11. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
12. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
13. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
14. कन्ट्रोलर, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।
15. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।

(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
3. निबंधक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

वरिष्ठ सलाहकार

## राजस्थान सरकार
## सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1, अम्बेडकर भवन राजमहल पैलेस के पीछे जयपुर।

क्रमांक एफ.11(163)आ.पि.क.बो./डीडीबीसी/सान्याअवि/19/ 7839 जयपुर दिनांक 14.02.2022

### आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.11(163)आ.पि.क.बो./डीडीबीसी/ सान्याअवि/19/29659 दिनांक 22.05.2020 के क्रम में राजस्थान राज्य आर्थिक पिछडा वर्ग बोर्ड में अध्यक्ष पद पर श्री अनिल शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा को मनोनीत किया जाता है।

इनका कार्यकाल कार्यग्रहण की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

14/2/2022

(ओ.पी. बुनकर)
निदेशक एंव संयुक्त शासन सचिव
जयपुर दिनांक 14.02.2022

क्रमांक एफ.11(163)आ.पि.क.बो./डीडीबीसी/सान्याअवि/19/7840–900
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामाहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, /सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्री अनिल शर्मा, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछडा वर्ग बोर्ड जयपुर, राज0।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर/भरतपुर।
9. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायलय, जोधपुर/जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
12. सचिव, राजस्थान अधिनस्थ कर्मचारी चयन आयोग, दुर्गापुरा, जयपुर।
13. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. समस्त विभागाध्यक्ष।
15. समस्त जिला कलक्टर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
17. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
18. समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यावास सान्याअवि।
19. सचिव, राजस्थान राज्य आर्थिक पिछडा वर्ग बोर्ड जयपुर, राज0।
20. समस्त जिलाधिकारी समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान।
21. गार्ड फाईल।

14/2/2022

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner

(12) (85)

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प0 11(1)मं.मं./99

जयपुर, दिनांकः 30/11/12

आज्ञा

इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 06.01.2000, दि0 30.07.2010, दि0 24.2.2012 एवं दिनांक 30.05.2012 आज्ञा क्रमांकः प0 11(4)मं.मं./06 दिनांक 12.09.2008 के क्रम में राज्य में गठित विभिन्न आयोगों के अध्यक्षगण जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया हुआ है, को देय सुविधाओं में सत्कार भत्ता की अतिरिक्त सुविधा को तुरन्त प्रभाव से प्रदान करते हुए पूर्व में जारी किये गये आदेशों के अतिक्रमण में निम्नानुसार संशोधित (इकजाई) आदेश जारी किये जाते हैं :-

| क्र.सं. | मद | देय सुविधाएँ |
|---|---|---|
| 1. | वेतन एवं सत्कार भत्ता | ₹ 30,000/- एवं ₹ 20,000/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा है)<br>₹ 27,000/- एवं ₹20,000/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें राज्यमंत्री स्तर का दर्जा है)<br>₹24,000/- एवं ₹15,000/- सत्कार भत्ता प्रतिमाह (जिन्हें उपमंत्री स्तर का दर्जा है) |
| 2. | एक वाहन | जयपुर एवं जयपुर से बाहर राजकीय दौरे के उपयोग हेतु। |
| 3. | चिकित्सा सुविधा | मंत्री/राज्यमंत्री /उप मंत्री को देय निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के अनुसार । |
| 4. | यात्रा भत्ता | मंत्री/राज्यमंत्री/ उप मंत्री को देय (ए क्लास अधिकारी के अनुसार) यात्रा भत्ता । |
| 5. | दैनिक भत्ता | राजकीय कार्य हेतुः-<br>(क) राज्य में ₹1000/- प्रति दिन (180 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक)<br>(ख) राज्य से बाहर ₹1250/- प्रति दिन(100 दिवस प्रतिवर्ष की सीमा तक)<br>(उक्त दोनों यात्रायें वर्ष में 180 दिवस तक सीमित रहेंगी) |
| 6. | टेलीफोन | एक निःशुल्क राजकीय टेलीफोन कार्यालय के उपयोग हेतु।<br>एक राजकीय टेलीफोन निवास हेतु जिसकी सीमा निम्न प्रकार होगीः-<br>मंत्री स्तर हेतु 20,000/- काल्स प्रति दो माह में<br>राज्यमंत्री स्तर हेतु 17,000 काल्स प्रति दो माह में<br>उप मंत्री स्तर हेतु 7,500/- काल्स प्रति दो माह में |
| 7. | ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था | माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण /उप मंत्रिगण को देय सुविधा के अनुसार सुविधा देय होगी । |

आवास भत्ता : आज्ञा क्रमांकः प0 11(4)मं.मं./06 दिनांक 12.09.2008 द्वारा प्रदत्त :-

| क्र.स. | मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर | मासिक आवास भत्ता | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी नहीं हैं । | ₹10,000/- | इन्हें विश्राम भवन, जयपुर में आवास की सुविधा देय नहीं होगी। |
| 2. | मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री स्तर के दर्जा प्राप्त पदाधिकारी जो जयपुर के निवासी हैं । | ₹ 3,000/- | — |

सदस्यगण हेतुः- इस सचिवालय की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 11.09.2012 के द्वारा राज्य में गठित विभिन्न आयोगों में पदस्थापित सदस्यगण को निम्न प्रकार से राजकीय सुविधायें प्रदान की गई हैं:-

| क्र.सं. | मद | | देय सुविधाएं |
|---|---|---|---|
| 1. | राजकीय कार्य से बैठक में भाग लेने हेतु :- | | ₹1000/- प्रति बैठक (प्रत्येक माह में बैठकों की सीमा 5 रहेगी ।) |
| | (क) | बैठक में उपस्थित फीस (प्रत्येक बैठक हेतु) | |
| | (ख) | कन्वेन्स अलाउन्स (स्थानीय) | ₹150/- प्रति बैठक (प्रत्येक माह में बैठकों की सीमा 5 रहेगी ।) |
| | (ग) | यात्रा भत्ता | "ए" श्रेणी के अधिकारियों को देय दर के अनुसार (प्रत्येक माह में यात्रा-भत्ता की सीमा 5 रहेगी।) |
| 2. | टेलीफोन काल्स की सीमा | | 1800 काल्स प्रति दो माह तक की सीमा तक टेलीफोन बिल की राशि का पुनर्भरण देय। |

यह आज्ञा वित्त (नियम) की आई.डी. संख्या 101204392 दिनांक 23.11.2012 के द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ0 गौतम मुखर्जी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महो., जयपुर / प्रमुख सचिव/सचिव (समस्त/विभाग) मुख्यमंत्री।
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible]

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांकः प. 11(1)मं.मं./1999 जयपुर, दिनांक 18-07-2022

## आदेश

राज्य में गठित विभिन्न आयोग/निगम/बोर्ड/समितियों में पदस्थापित अध्यक्ष/उपाध्यक्षगण जिन्हें मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है, को वेतन एवं सत्कार भत्ता हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 07.12.20217 के अतिक्रमण में तुरन्त प्रभाव से निम्नानुसार वेतन एवं सत्कार भत्ता प्रदान किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती हैः–

| मद | देय सुविधाऐं |
|---|---|
| वेतन | 65000/– (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है)<br>62000/– (जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है)<br>60000/– (जिन्हें उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) |
| सत्कार भत्ता | 55000/– (जिन्हें मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है)<br>55000/– (जिन्हें राज्य मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है)<br>40000/– (जिन्हें उप मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त है) |

उक्त के अतिरिक्त शेष सुविधाऐं मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 30.11.2012 के अनुसार यथावत रहेंगी।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102203352 दिनांक 18.07.2022 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव (जी.जी.), मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विभिन्न बोर्ड/आयोग/निगम के मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्षगण।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड।
9. सचिवालय के समस्त विभाग एवं अनुभाग।
10. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
11. रक्षित पत्रावली।

(श्रीराम मोदी)
शासन उप सचिव